GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

RBS No. 5/2011

No. 98/RS(G)/709/1 part. New Delhi, dated 8 .09.2011.

The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C).
The General Manager, CORE, Allahabad.
The General Manager, Metro Railway, Kolkata.
The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara.
The MD, RITES, RITES Bhawan, Sector 29, Gurgaon.
The MD, KRCL, Belapur Bhavan, 4th Floor, Sector-11, CBD, Belapur, Navi Mumbai.
The MD, MRVC, 2nd Floor, Church Gate Station Building, Mumbai.
The MD, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
CAO/Workshop Projects Organisation, 1st Floor, Chamber Bhazwan, J.C. Road, Patna – 800001.
CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi.
CAO/MTP, NBCC Place, Bhisma Pitamah Marg, Pragati Vihar, New Delhi.
CAO/MTP, Mumbai and Chennai.

Subject: Terms & conditions and other related aspects of M&P procurement both import and indigenous.
REF: RB's letter no. 98/RS(G)/709/1, dated 30.05.2006.

A. Board has issued above referred letter as an improvement over the then procurement practice for M&P items. The aspect of improving the upkeep of M&P items in Indian Railways has further been considered in Railway Board. Accordingly, the following paras of the above letter are modified as under:-

Para 4 of the above referred letter is modified as under:

4. Annual Maintenance Contract:

(a) Tenderers are required to quote for post warranty Annual Maintenance Contract (AMC) for a period of five years after expiry of the warranty period of the M&P along with their offers. The scope of AMC will include preventive and break-down maintenance.AMC charges will include all costs of personnel, spares etc. except the cost of consumables required for day-to-day operation & daily maintenance checks.

(b) The tender documents must specify the maximum downtime and maximum response time as also penalties for failure to adhere to the same. AMC Payment terms should be linked to these performance parameters.

(c) The tenderers should quote AMC rates for each of the five years. The AMC prices for each year will be firm. The AMC charges shall be separately payable in Indian Rupees only. The AMC charges would be added to the FOR destination price quoted for M&P for the purpose of comparative evaluation of offer. In order to equitably compare different AMC charges for different years, the concept of NPV (Net Present Value) may be used at a predetermined rate of discounting to bring the AMC charges at the same footing in the assessment of FOR destination price. The rate of discounting and the of NPV calculation shall be pre-disclosed in the tender document.

(d) The post-AMC maintenance of machines will be dealt with by the end users. In order to facilitate the same, tenderers are required to give the current cost of spares required for maintenance of machine after AMC period and the current

service charges for each items of work of repair of M&P beyond the AMC period. These charges will not be included in the price of M&P for the purpose of comparative evaluation of offers.

(e) Tenderers who are OEM, must give undertaking for supply of spare parts for a period of expected life of the machine/equipment. Other Tenderers must submit undertaking from OEM for supply of spare parts for a period of expected life of the machine/equipment.

(f) The actual Contract Agreement must show the AMC charges as a separate schedule / annexure to distinguish it from the transaction value of M&P, to avoid undue Custom Duty / charges.

B. The letter under reference states that the AMC *may* be incorporated in the tender conditions for procurement of M&P. However, it is clarified that for the following machines, AMC will be necessarily included in the scope of contract:

(i) Spectrometer
(ii) Laser Cutting / Welding machine
(iii) Machines using robotics for welding, gauging etc.
(iv) CNC wheel lathes, Wheel Presses, Axle Turing Lathes etc.
(v) Simulators,
(vi) CNC Machining centres.

That is, while the aspect of including AMC in the scope of tender for other machines is optional, for all above machines, tender document will have to necessarily include the aspect of AMC which will be entered into by the contract placement authority and will be operated by the end user.

C. For such items where AMC is to be included in the scope of contract, the indentor should make the necessary budget provisions under revenue for meeting such expenditure as and when it arises. **A confirmation to the effect that "Necessary funds provision shall be ensured for meeting the AMC charges estimated at 5% per annum of the indented machine cost" should be indicated in the indents to the purchasing authority.**

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

(M.K. Gupta)
Director, Railway Stores(IC)
Railway Board.

No. 98/RS(G)/709/1 Part **New Delhi, dated 8.09.2011.**

Copy to:

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.
2. PCEs, All Indian Railways & Production Units.
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways.

for Financial Commissioner / Railways

No. 98/RS(G)/709/1 part New Delhi, dated8.9.2011

Copy to:

1. The COSs, All Indian Railways & PUs including NF(C).
2. The COS, Metro Railway, Kolkata.
3. The COS, COFMOW, New Delhi.
4. The COS, CORE, Allahabad.
5. The COS, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, 4th Floor, Sector-11, CBD, Belapur, Navi Mumbai-400614.
6. The COS, Mumbai Rail Vikas Corporation, 2nd Floor, Church Gate station Building, Mumbai-400020.
7. The Directors-
    a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad.
    b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur.
    c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik.
    d. Sr.Prof. (Material Management), Railway Staff College, Vadodara.
    e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune.
    f. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R.K.Puram, New Delhi
8. Chairman, Railway Rates Tribunal, Chennai.
9. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata.
10. Executive Director (Stores), RDSO, Manak Nagar, Lucknow.
11. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
12. ED(QA)/RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurgaon, Haryana.
13. CPM, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.
14. GM(Proj)-V, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.
15. Dy.CMM / Workshop Projects organisation, 1st Floor, Chamber Bhawan, J.C. Road, Patna -800001.

(M.K. Gupta)
Director, Railway Stores(IC)
Railway Board.

No. 98/RS(G)/709/1 part **New Delhi, dated: 8 .9.2011**

Copy to :

1. The General Secretary , AIRF, 4 State Entry Road , New Delhi.
2. The General Secretary , NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi.
3. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
5. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi

(M.K. Gupta)
Director, Railway Stores(IC)
Railway Board.

No. 98/RS(G)/709/1 part New Delhi, dated: 8 .9.2011

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to

(i) CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
(ii) All AMs and Advisors of Railway Board.
(iii) All Executive Directors of Railway Board.

(iv) All Directors of Electrical, Engineering, Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte. &
All Branches of Electrical, Engineering, Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte.

आर बी एस सं.5/2011

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.98/आर एस (जी)/709/I पार्ट. **नई दिल्ली,दिनांक : 8 .09.2011**

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित।
महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।
महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।
महानिदेशक, अ.अ.मा.स. लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
प्रबंध निदेशक, राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुड़गांव।
प्रबंध निदेशक, कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लि., बेलापुर भवन, चौथा तल, सेक्टर-11, सी बी डी, बेलापुर, नवी मुंबई।
प्रबंध निदेशक, मुंबई रेल विकास निगम, दूसरा तल, चर्च गेट स्टेशन बिल्डिंग, मुंबई।
प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कारखाना परियोजना संगठन, प्रथम तल, चैम्बर भवन, जे.सी. रोड, पटना-800001.
मु.प्र.अ./डीजल आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला एवं कॉफमो, नई दिल्ली।
मु.प्र.अ./म.प.प., एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली।
मु.प्र.अ./म.प.प., मुंबई एवं चेन्नै।

विषय : एम एंड पी की आयात एवं स्वदेशी दोनों प्रकार की खरीद की निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबद्ध पहलू.

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का दिनांक 30.05.2006 का पत्र सं. 98/आर एस(जी/709/1.

क. बोर्ड ने एम एंड पी मदों के लिए तत्समय प्रचलित खरीद पद्धति में सुधार करते हुए उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र जारी किया है. भारतीय रेलों में एम एंड पी मदों के रख-रखाव की स्थिति में सुधार के मुद्दे पर रेलवे बोर्ड में आगे विचार किया गया है. तदनुसार, उपर्युक्त पत्र के निम्नलिखित पैराग्राफों को निम्नानुसार आशोधित किया गया है:-

उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र के पैरा 4 को निम्नानुसार आशोधित किया जाता है :

4. **वार्षिक अनुरक्षण ठेका :**

(क) निविदाकर्ताओं को अपनी पेशकश के साथ एम एंड पी की वारंटी की समाप्ति के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए वारंटी उपरांत वार्षिक अनुरक्षण ठेका (ए एम सी) को कोट करना अपेक्षित है. ए एम सी के दायरे में निवारक एवं ब्रेक-डाउन अनुरक्षण शामिल होगा. ए एम सी प्रभारों में दिन-प्रतिदिन की परिचालित एवं दैनिक अनुरक्षण जाँचों के लिए अपेक्षित मदों की लागत को छोड़कर कर्मचारियों, स्पेयर पार्टों आदि की लागत सहित सभी लागतें शामिल होंगी.

(ख) निविदा दस्तावेजों में अधिकतम डाउनटाइम एवं अधिकतम प्रत्युत्तर समय और इनका पालन न किए जाने पर दंड का भी उल्लेख किया जाए. ए एम सी भुगतान की शर्तों को इन निष्पादन पैरामीटरों से लिंक किया जाना चाहिए.

(ग) निविदाकर्त्ता को पांच वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिए एम एम सी दरों को कोट करना चाहिए. प्रत्येक वर्ष के लिए ए एम सी की कीमतें निश्चित होनी चाहिए. ए एम सी प्रभार केवल भारतीय रुपए में अलग से देय होंगे. ए एम सी प्रभार पेशकश के तुलनात्मक आकलन के प्रयोजन के लिए एम एंड पी के लिए कोट किए गए एफ ओ आर गंतव्य कीमत में जोड़े जाएंगे. अलग-अलग वर्षों के लिए अलग-अलग एएमसी प्रभारों की समतुल्य तुलना के लिए डिस्काउंट के लिए पूर्व निर्धारित दर पर एन पी वी (शुद्ध वर्तमान लागत) की अवधारणा का उपयोग किया जाए जिससे एफ ओ आर गंतव्य कीमत के आकलन में बराबरी की स्थिति बनें. डिस्काउंट और एन पी वी गणना की दर का निविदा प्रलेख में पहले उल्लेख किया जाएगा.

(घ) मशीनों का एएमसी उपरांत अनुरक्षण का कार्य इनके उपयोगकर्ताओं द्वारा कराया जाएगा. इस कार्य को निष्पादित करने के लिए निविदाकर्ताओं को एएमसी की अवधि के बाद मशीन के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित पुर्जों की वर्तमान लागत और एएमसी अवधि से आगे एम एंड पी के मरम्मत कार्य की प्रत्येक मद के लिए वर्तमान सेवा प्रभार का ब्यौरा देना अपेक्षित है. इन प्रभारों को पेशकश के तुलनात्मक आकलन के प्रयोजन के लिए एम एंड पी के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा.

(ङ.) वे निविदाकर्ता जो ओ ई एम हैं, उन्हें मशीन/उपकरणों की संभावित कार्य अवधि के लिए स्पेयर पार्टों की आपूर्ति की वचन-बद्धता अनिवार्य रूप से देनी होगी. अन्य निविदाकर्ताओं मशीनों/उपकरणों की संभावित कार्य-अवधि के लिए स्पेयर पार्टों की आपूर्ति के लिए ओ ई एम से वचन-बद्धता अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे.

(च) वास्तविक ठेका करार में एएमसी प्रभारों को अनिवार्यत: एक अलग अनुसूची/अनुबंध के रूप में दर्शाया जाए ताकि अनावश्यक सीमा शुल्क/प्रभार से बचा जा सके.

STORES-RS (G)

(ख) संदर्भाधीन पत्र में उल्लेख किया गया है कि ए एम सी को एम एंड पी की खरीद की निविदा शर्तों में शामिल किया जा सकता है. बहरहाल, यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित मशीनों के लिए, एएमसी को निविदा के दायरे में आवश्यक रूप से शामिल किया जाएगा :

(i) स्पैक्ट्रोमीटर

(ii) लेजर कटिंग/वैल्डिंग मशीन

(iii) वैल्डिंग, गेजिंग आदि के लिए रोबोटिक्स के इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीन.

(iv) सीएनसी पहिया चाक, व्हील प्रैसेस, एक्सल टरिंग चाक आदि.

(v) सिम्यूलेटर्स

(vi) सीएनसी मशीनिंग सेंटर

अर्थात् यद्यपि अन्य मशीनों के लिए निविदा के दायरे में एएमसी शामिल करना वैकल्पिक है परंतु उपर्युक्त सभी मशीनों के लिए, निविदा दस्तावेज एएमसी के मुद्दे को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा जिसे ठेका देने वाली एजेंसी द्वारा समाविष्ट किया जाएगा और उपयोगकर्ता द्वारा परिचालित किया जाएगा.

(ग) ऐसी मदों के लिए जहां एएमसी को निविदा के दायरे में शामिल किया जाना है. उन मामलों में मांग-पत्र प्रदाता को ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए, जब कभी ऐसा व्यय करना अपेक्षित हो, राजस्व के अंतर्गत आवश्यक बजट व्यवस्था करनी चाहिए. **इस आशय की पुष्टि कि "मांग किए गए मशीन की लागत की 5% प्रति वार्षिक दर पर अनुमानित एएमसी प्रभारों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी" को खरीद करने वाले प्राधिकारी के लिए मांग-पत्र में दर्शाई जानी चाहिए.**

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(एम.के. गुप्ता)
निदेशक, रेल भंडार (आई सी)
रेलवे बोर्ड.

STORES-RS (I)

सं.98/आर एस (जी)/709/Iपार्ट. **नई दिल्ली,दिांक : 8 .09.2011**

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं.98/आर एस (जी)/709/Iपार्ट. **नई दिल्ली,दिांक : 8 .09.2011**

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सीओएस/सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित।
2. सीओएस, मेट्रो रेल कोलकाता।
3. सीओएस, कॉफमो, नई दिल्ली।
4. सीओएस, कोर, इलाहाबाद।
5. सीओएस, कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, चौथा तल, सेक्टर-11, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614.
6. सीओएस, मुंबई रेल विकास निगम, दूसरा तल, चर्च गेट स्टेशन बिल्डिंग, मुंबई-400020.

7. निदेशक -
   - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद।
   - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
   - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक।
   - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
   - ङ भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
   - च. भारतीय रेल लॉजिस्टिक एवं सामग्री प्रबंधन संस्थान, आईडीए हाउस, सेक्टर-4, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, रेल दर अधिकरण, चेन्नै।
9. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
10. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., मानक नगर, लखनऊ।
11. मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, लखनऊ।
12. कार्यपालक निदेशक (क्यू ए)/राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुड़गांव, हरियाणा।

13. सीपीएम, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
14. महाप्रबंधक (परियोजना)-V, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
15. उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/कार्यशाला परियोजना संगठन, प्रथम तल, चैम्बर भवन, जेसी रोड, पटना-800 001.

(एम.के. गुप्ता)
निदेशक, रेल भंडार (आई सी)
रेलवे बोर्ड.

सं.98/आर एस (जी)/709/Iपार्ट. **नई दिल्ली,दिांक : 8 .09.2011**

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

(एम.के. गुप्ता)
निदेशक, रेल भंडार (आई सी)
रेलवे बोर्ड.